भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः3203.

उत्तर देने की तारीखः 15.03.2021

तेलंगाना में केंद्रीय विद्यालय

†3203. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) तेलंगाना में वर्तमान में चल रहे केंद्रीय तथा नवोदय विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार तेलंगाना में केंद्रीय तथा नवोदय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश भर में वर्तमान में चल रहे विभिन्न केंद्रीय तथा नवोदय विद्यालयों में रिक्त शिक्षण तथा गैर-शिक्षण पदों का, विशेषकर तेलंगाना सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान में तेलंगाना में चल रहे विभिन्न केंद्रीय तथा नवोदय विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय औसत से इसकी क्या तुलना है; और

(च) वर्तमान में तेलंगाना में चल रहे विभिन्न केंद्रीय तथा नवोदय विद्यालयों में विगत दस वर्षों के दौरान आबंटित निधियों तथा वास्तव में उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) वर्तमान में, तेलंगाना राज्य में 35 केन्द्रीय विद्यालय (केवी) और 9 जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) कार्यात्मक हैं। इसका जिला-वार विवरण अनुबंध- I में दिया गया है।

(ख) और (ग) नए केवी को खोलना एक सतत प्रक्रिया है। नए केवी खोलने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है। जब वे भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा एक नया केवी स्थापित करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, अस्थायी आवास आदि सहित संसाधनोंकी प्रतिबद्धता करते हुए, प्रायोजित किए जाते हैं। नए केवी खोलने के लिए विभिन्न प्रायोजक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों को हर तरह से "चुनौती विधि" के तहत अन्य प्रस्तावों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है।

नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक जेएनवी खोलने की परिकल्पना की गई है। नए जेएनवी को खोलना एक सतत प्रक्रिया है, जो स्थायी भवन के निर्माण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की इच्छा पर निर्भर करती है और स्थायी भवन का निर्माण होने तक नि:शुल्क किराए पर विद्यालय चलाने के लिए आवश्यक अस्थायी भवन उपलब्ध कराती है। तथापि, नए जेएनवी की वास्तविक मंजूरी और उन्हें खोला जाना सक्षम प्राधिकारी द्वारा निधियों की उपलब्धता और अनुमोदन पर निर्भर करता है। तमिलनाडु को छोड़कर, जिसने अभी तक नवोदय विद्यालय योजना को स्वीकार नहीं किया है 31 मई 2014 को देश के सभी जिलों में एक-एक जेएनवी को मंजूरी दी गई है।

(घ) केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने बताया है कि केवी में 8174 शिक्षण पद और 5460 गैर-शिक्षण पद और जेएनवी में 3174 शिक्षण पद 1880 गैर-शिक्षण पद रिक्त पड़े हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुबंध- II में दिए गए हैं।

(ड.) केवीएस और जेएनवी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध हैं और सीबीएसई उप-नियमों के अनुसार, प्रत्येक खंड में छात्रों की अधिकतम संख्या 40 (चालीस) होगी। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 यह भी निर्दिष्ट करता है कि कक्षा I से V के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात 30: 1 होना चाहिए और छठी से आठवीं कक्षा के लिए 35: 1 होना चाहिए। केवीएस और एनवीएस ने सूचित किया है कि तेलंगाना में मौजूद केवी और जेएनवी में छात्र-शिक्षक अनुपात क्रमशः 30:1 और 19:1 हैं।

(छ) केवीएस और एनवीएस को तीन अलग अलग-शीर्षों अर्थात वेतन, सामान्य और पूंजीगत संपत्ति का सृजन के तहत अनुदान सहायता जारी की जाती है। निधियों का यह आवंटन समेकित आधार पर किया गया है, न कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार। तथापि, केवीएस और एनवीएस द्वारा तेलंगाना में केवीएस और जेएनवी चलाने के लिए पिछले दस वर्षों के दौरान किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है - :

(रु.करोड़ में)

वर्ष-वार	केवी	जेएनवी
2010-11	97.68*	21.87
2011-12	118.52*	23.94
2012-13	128.63*	25.92
2013-14	147.26*	30.00
2014-15	89.61	31.70
2015-16	111.37	33.95
2016-17	108.97	34.43
2017-18	157.09	45.97
2018-19	140.33	46.74
2019-20	220.82	48.80

* केवी से संबंधित व्यय जो आंध्र प्रदेश के अविभाजित राज्य में कार्यात्मक थे।

****

अनुबंध -I

तेलंगाना में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के संबंध में श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 15 मार्च 2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3203 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तेलंगाना राज्य में कार्यात्मक 35 केवी और 9 जेएनवी का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला का नाम	केवी की संख्या	जेएनवी का नाम
1.	आदिलाबाद	1	1 (अब आसिफाबाद में)
2.	हैदराबाद	4	-
3.	करीम नगर	1	1
4.	खम्मम	1	1
5.	महबूबनगर	1	1 (अब नागर कुर्नूल में)
6.	संगारेड्डी	2	-
7.	नलगोंडा	2	1
8.	मेडचल (मलकाजगिरी)	11	-
9.	निजामाबाद	2	1 (अब कामारेड्डी में)
10.	वारंगल शहरी	1	1
11.	यादाद्री भुवनगिरी	1	-
12.	मंचेरियल	1	-
13.	रजन्ना	1	-
14.	पेद्दापल्ली	1	-
15.	महबुबाबाद	1	-
16.	रंगा लाल	3	1
17.	सिद्दीपेट	1	1
	कुल	**35**	**9**

*****

अनुबंध-II

तेलंगाना में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के संबंध में श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 15 मार्च 2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3203 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केवी			जेएनवी		
		शिक्षण	गैर-शिक्षण	कुल	शिक्षण	गैर-शिक्षण	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	18	7	25	23	8	31
2.	आंध्र प्रदेश	265	180	445	86	35	121
3.	अरुणाचल प्रदेश	126	96	222	108	69	177
4.	असम	408	266	674	121	52	173
5.	बिहार	287	188	475	191	61	252
6.	चंडीगढ़	37	23	60	0	1	1
7.	छत्तीसगढ	256	185	441	166	94	260
8.	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	11	13	24	25	16	41
9.	दिल्ली	381	350	731	5	3	8
10.	गोवा	39	16	55	13	4	17
11.	गुजरात	229	209	438	201	154	355
12.	हरियाणा	131	132	263	61	54	115
13.	हिमाचल प्रदेश	111	81	192	41	33	74
14.	जम्मू और	286	124	410	174	84	258

	कश्मीर						
15.	लद्दाख	13	4	17	25	12	37
16.	झारखंड	201	145	346	140	71	211
17.	कर्नाटक	389	138	527	158	67	225
18.	केरल	273	214	487	42	42	84
19.	लक्षद्वीप	6	8	14	7	0	7
20.	मध्य प्रदेश	712	495	1207	237	135	372
21.	महाराष्ट्र	409	245	654	152	102	254
22.	मणिपुर	57	42	99	34	15	49
23.	मेघालय	44	37	81	70	33	103
24.	मिजोरम	17	28	45	51	33	84
25.	नगालैंड	47	31	78	71	40	111
26.	ओडिशा	426	276	702	206	112	318
27.	पुद्दुचेरी	41	27	68	22	6	28
28.	पंजाब	363	178	541	95	73	168
29.	राजस्थान	285	263	548	130	100	230
30.	सिक्किम	9	9	18	9	12	21
31.	तमिलनाडु	424	288	712	0	0	0
32.	तेलंगाना	**259**	**155**	**414**	**49**	**16**	**65**
33.	त्रिपुरा	53	39	92	53	21	74
34.	उत्तर प्रदेश	879	514	1393	239	206	445
35.	उत्तराखंड	245	199	444	73	38	111
36.	पश्चिम बंगाल	437	255	692	96	78	174
कुल		**8174**	**5460**	**13634**	**3174**	**1880**	**5054**

*****